Refugee Quarters in Kingsway Camp, Delhi

2233. **Shri P. C. Borooah:** Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3207 on the 15th June, 1962 and state:

(a) whether the number of families consisting of more than 5 members referred to in part (c) of the previous question has since been ascertained;

(b) if so, what is the number;

(c) whether an assurance was given to the allottees of double quarters of Reids Line, Kingsway Camp for consideration of their cases for allotment of two quarters to such families if some quarters are left out after the initial allotment is completed;

(d) if so, what action has been taken for allotment of those quarters;

(e) whether any fresh representation has been received from the association of the refugees concerned; and

(f) if so, Government's decision thereon?

The Minister of Works, Housing and Supply (Shri Mehr Chand Khanna): (a) and (b). 34 families consisting of more than 5 members were allotted two tenements each in the Reids Lines, Kingsway Camp.

(c) No.

(d) Does not arise.

(e) No.

(f) Does not arise.

आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्ट

२२३४. { **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री स० ब० पाटिल :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोक-सभा के पिछले अधिवेशन में उन्होंने आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों की सेवा सम्बन्धी शर्तें सुधारने के बारे में जो आश्वासन दिये थे उन्हें पूरा करने के सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं;

(ख) क्या भारत सरकार के स्थायी कर्मचारियों को प्राप्त सिटी कम्पेन्सेटरी अलाउन्स, मकान किराया तथा उधार आदि की सुविधायें स्टाफ आर्टिस्टों को भी दी जाती हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी): (क) पिछले अधिवेशन में बजट पर बहस के दौरान, मैंने स्टाफ़ आर्टिस्टों के ठेके की वर्तमान तीन साल की अवधि को ५ साल तक बढ़ाने की सम्भावना के बारे में चर्चा की थी। यह और दूसरे संबंधित मामले विचाराधीन हैं ।

(ख) आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्ट सिटी कम्पेन्सेटरी अलाउन्स या मकान किराया के हकदार नहीं हैं । लेकिन वे सरकारी निवास-स्थान के पाने और नीचे लिखे कुछ कर्जों और एडवान्स के हक़दार हैं :—

(१) रेडियो सेट खरीदने के लिए कर्जा,

(२) फैस्टीवल ऐडवान्स,

(३) टी० ए० ऐडवान्स,

(४) बाढ़, बवंडर, इत्यादि जैसे संकट के समय ऐडवान्स, और

(५) चिकित्सा के लिए ऐडवान्स ।

(ग) आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्ट नियमित सरकारी कर्मचारी नहीं हैं । उनकी फ़ीस और दूसरी शर्तें उन के साथ हुए करार और इस बारे में बनाये गये नियमों पर निर्भर करती हैं ।